स्पीड पोस्ट/ई–मेल

संख्या–6/एफ1–15/2026 श्र0सं0– 6311

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (श्रम पक्ष)

प्रेषक,

मनीष कुमार,
उप श्रमायुक्त (मु०)।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
गयाजी।

पटना, दिनांक– 15/10/26

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में मुख्य शीर्ष–2230 श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्यशीर्ष–01– श्रम–मांग संख्या–26–लघुशीर्ष–112–बंधुआ मजदूर का पुनर्वास, समूह शीर्ष–केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम, उपशीर्ष–0405–बंधुआ मजदूर का पुनर्वास (विपत्र कोड 26–2230011120405) के विषयशीर्ष–31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन मद से CFMS 2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्र सरकार के द्वारा Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourer, 2021 के तहत Reimubursement of funds के रूप में ₹ 14,40,000/– (रुपये चौदह लाख चालीस हजार) मात्र का प्रावधान बिहार आकस्मिकता निधि से कराते हुए वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में, वित्तीय वर्ष 2026–27 में, मुख्य शीर्ष–2230 श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्यशीर्ष–01– श्रम–मांग संख्या–26–लघुशीर्ष–112–बंधुआ मजदूर का पुनर्वास, समूह शीर्ष–केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम, उपशीर्ष–0405–बंधुआ मजदूर का पुनर्वास (विपत्र कोड 26–2230011120405) के विषयशीर्ष–31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में CFMS 2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन का विवरण निम्नवत है:–

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष	आवंटित राशि (₹)
1.	जिला पदाधिकारी, गयाजी	31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	14,40,000
		कुल राशि	**₹ 14,40,000**

3. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–5825, दिनांक–25.09.2026 के आलोक में आवंटित की गयी है।
4. यह राशि जिला स्तर पर गठित Bonded Labourer Rehabilitation funds (Corpus Fund) से Immediate Assistance के रूप में पूर्व में व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति के लिए है।
5. अनुरोध है कि Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourer, 2021 के तहत जाँच पड़ताल करके राशि का भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को ई–मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने कि कृपा की जाय।
6. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक–256/वि0 दिनांक–26.02.19, पत्रांक–732/वि0 दिनांक–31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक–2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
7. अनुरोध है कि इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है, तो अनियमित होगा ।

8. अनुरोध है कि आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में, आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ, निकासी के उपरांत, अविलम्ब सक्षम प्राधिकार को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

9. यह राशि केन्द्रीय क्षेत्र योजना से संबंधित है।

10. आवंटन के प्रस्ताव पर श्रमायुक्त, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
15/10/26
(मनीष कुमार)
उप श्रमायुक्त (मु०)।

ज्ञापांकः 6/एफ1–15/2026 श्र0सं0– 6311 पटना, दिनांक– 15-10-2026

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/ संबंधित श्रम अधीक्षक/अपर श्रमायुक्त–सह–वरीय प्रभारी प्रशाखा–01 (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई० टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक से अनुरोध है कि वे जिला पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित किये गये राशि के विरूद्ध नियमानुसार शत प्रतिशत व्यय करने हेतु अनुरोध करेंगे एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करेंगे।

3. उपयोगिता प्रमाण–पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा–01) द्वारा किया जायेगा ।

विश्वासभाजन
15/10/26
(मनीष कुमार)
उप श्रमायुक्त (मु०)।